

## नई औषधियों के वनियिमन के लिये भारत के पास सीखने का अवसर

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक अध्ययन “प्रीकलनिकिल एफाकिसी सटडीज इन इन्वेस्टिगेटर बरोशर: डू दे इनेबल रसिक-बेनफिट असेसमेंट” के अनुसार औषध नरिमाताओं द्वारा पशुओं पर किये जा रहे परीक्षणों के गलत आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
- किसी औषधिके नैदानिक परीक्षण से पूर्व जानवरों पर उनका परीक्षण किया जाता है। यदि औषधियों को अनुमोदित करवाने के लिये कंपनियाँ केवल ऐसे चुनानिदा आँकड़े प्रस्तुत करती हैं जो सकारात्मक हैं, तो नैदानिक परीक्षण में सम्मालिति मानवों पर खतरा बना रहता है।

‘Schedule H’ औषध एवं प्रसाधन नियम, 1945 के अंतर्गत सूचीबद्ध औषधियों की एक श्रेणी है जिन्हें बना चकितिसीय प्रामारण के नहीं खरीदा जा सकता है।

### भारत में औषधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया तथा संस्थाएँ

- CDSO (सेंटरल ड्रग स्टैण्डर्ड कण्ट्रोल आर्गेनाइज़ेशन) भारत की राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है जिसके द्वारा औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत नई औषधियों के आयात/वनियमाण, अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण तथा DCC एवं DTAB की बैठकों का नियामक नियंत्रण किया जाता है। DCGI (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया), CDSO के अधीन एक नियामक एजेंसी है जिसके द्वारा भारत में तथा विशिष्ट श्रेणी की औषधियों (रक्त एवं रक्त उत्पाद, I + V फ्लुइड्स, वैक्सीन एवं सेरा) हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं तथा औषधियों के वनियमाण, वक्रिय आदि हेतु मानक तय किये जाते हैं।
- इसके साथ ही, यह राज्य औषध नियामक प्राधिकरणों के साथ मलिकर औषधियों का वक्रिय तथा वितरण प्रशासनिक करती है।
- DTAB (ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड) द्वारा औषधियों से संबंधित तकनीकी मुद्राओं पर प्रामारण प्रदान किये जाते हैं।
- किसी भी औषधिके वक्रिय की अनुमतिलेने के लिये उसकी रासायनिक तथा औषधीय जानकारी, पशुओं तथा इंसानों पर उनके चरणबद्ध परीक्षण के

आँकड़े, अन्य देशों में उसका नियमक दर्जा समेत वसितृत जानकारी प्रदान किया जाना आवश्यक है।

## भारत में संबंधित मुद्दे

- हाल ही में, DTAB के प्रामरश से भारत में Schedule H श्रेणी के अंतर्गत समलिति स्ट्रॉयड्स एवं एंटीबायोटिक्स घटक वाली 14 क्रीमों को प्रतिबंधित किया गया है।
- कई चर्म-चकितिसकों द्वारा यह शक्तियां की जा रही थीं कि भारत में इन औषधियों को बना चकितिसीय प्रामरश के बेचा जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, “ब्रटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी” में प्रकशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में CDSCO के अनुमोदन के बनि कई नियमित मात्रा सहयोजन (फिल्सूड डोज़ कॉम्बनिशन: FDC) औषधियों को बेचा जा रहा है जो सूक्ष्मजीवी-प्रतिरोधकता नियंत्रण के लिये एक खतरा है।

## आगे की राह

- जर्मनी से सीख लेते हुए भारत में भी नियमक प्राधिकरणों द्वारा औषध कंपनी के माध्यम से किये जाने वाले नैदानिक तथा पूर्व-नैदानिक परीक्षणों के आँकड़ों का सत्यापन किया जाना अत्यावश्यक है, जिससे परीक्षण में शामलि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- इसके अतिरिक्त सूक्ष्मजीवियों की प्रतिरोधकता में वृद्धि होने देने के लिये यह आवश्यक है कि औषधियों के अनुमोदन एवं विक्रय हेतु एक पारदर्शी तथा सख्त नियमक प्रक्रिया अपनाई जाए तथा औषधियों की ओवर-द-काउंटर बिक्री की निगरानी की जाए।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-has-the-opportunity-to-learn-regulation-of-new-drugs>